भारत सरकार
**GOVERNMENT OF INDIA**
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE**
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / **Northern Regional Office, Chandigarh**

**F.No. -: 9-HRB025/2020-CHA** **दिनांक: 14-09-2020**

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ।
(www.fcforest@hry.nic.in)

**विषय**: **Diversion of 0.08 ha of forest land in favour of M/s Jindal Realty Ltd., for installation of 11 KV overhead HT electricity cable line of Jindal Realty Ltd. From Jindal Global City to Express City Sector-35 along Sonepat-Narela road, under forest division and District Sonepat, Haryana. (Online proposal no. FP/HR/Trans/45123//2020)-reg.**

**संदर्भ**:- (i) State Government online proposal received on dated 27.04.2020
(ii) हरियाणा सरकार के पत्र संख्या न० डी-तीन-9295/7189 दिनाक 24.08.2020

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भाकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **0.08** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैधांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

**i.** प्रयोक्ता एजेंसी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।

**ii.** माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजैंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

**iii.** प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी |

**iv.** User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.

**v.** User Agency shall ensure that no other proposal in the division, for which Stage-I has already been granted in the past, is still pending for compliance of conditions of Stage-I approval. An Undertaking to this effect that **"no such proposal for compliance of conditions of Stage-I approval is pending with this division"** be submitted. Compliance of the same will be mandatory for the final clearance of this proposal by this office.

**vi.** FRA certificate from competent authority to be submitted.

3. **अन्तिम स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा।**

**i.** वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
**ii.** प्रस्ताव के अनुसार कम से कम पेड़ व पोल काटे जायेंगे | प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या **144** से अधिक नहीं होगी |
**iii.** प्रति पूर्ति पौधा रोपण प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त धन राशि से एक वर्ष के भीतर होना चाहिए |
**iv.** वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

v. जब कभी भी NPV की राशी बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

vi. प्रयोक्ता एजेंसी वन क्षेत्रों में से ट्रांसमिशन लाइन बिछाने हेतु दिशा निर्देशिका (Handbook of guidelines) के Chapter 10 के तहत जारी दिशा निर्देश का अनुपालन करेगी |

vii. प्रस्तावित संचरण लाइन के लिए "रास्ते के अधिकार" की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि पर 7 मीटर होगी |

viii. प्रोक्यता एजेंसी अपनी लगत पर पक्षियों को तारो से टकराने से बचाने के लिए उपयुक्त अंतराल पर ट्रांसमिशन लाइन के उपरी कन्डक्टर पर पक्षी डिफ्लेक्टर (Bird deflectors) लगाएगी |

ix. FRA, 2006 का पूर्ण अनुपालन का प्रमाण सम्बंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा |

x. कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम 2.6 मीटर होना चाहिए | कन्डक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा | बिजली की निकासी बनाये रखने के लिये जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा |

xi. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, परिवर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आवश्यकतानुसार जमीन पर सीमांकित किया जाएगा |

xii. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा |

xiii. इस अनुमोदन के तहत डायवर्जन की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में की जाने वाली पट्टे की अवधि या परियोजना का कार्यकाल, जो भी कम हो, के साथ एक सीमा वाली (Co-terminus) होगी |

xiv. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xv. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xvi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के हेतू समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xvii. सक्षम प्राधिकारी अनुमति को रद्द कर सकता है, यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का पालन संतोषप्रद नहीं है | राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से उपरोक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी |

xviii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी |

**4.** उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा| ***केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा और यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण अनुमति प्राप्त की जाये।***

**भवदीय्**

**हस्ता/-**
**(सी० डी० सिंह)**
**उप वन महानिदेशक (केंद्रीय)**

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग़ रोड, अलीगंज, नई दिल्ली |(www.adgfc-mef@nic.in)
2. PCCF (HoFF), Forest Department, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (www.pccf-hry@nic.in)
3. Divisional Forest Officer and Forest Division Sonipat Haryana.
4. Jindal Realty Ltd., Jindal Global City, Sector-35, Sonepat, Haryana. (www.cp.sharma@jindalrealty.com)

Signature Not Verified

Digitally signed by C D SINGH
Date: 2020.09.15 11:58:55 IST

**बेज नं**. 24-25, सेक्टर-31 ए, **चंडीगढ़**-160030 / **Bays No.** 24-25, Sector-31 A, **Chandigarh**-160030
**दूरभाष/Tel No** : 0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email :** ronz.chd-mef@nic.in